टिहरी बांध परियोजना पर विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन

353. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः माह की अवधि के दौरान टिहरी बांध निर्माण के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की दो समितियों ने सरकार को परस्पर विरोधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति का नाम क्या है जिसके प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा अनुकूल रवैया अपनाया जा रहा है; और

(ग) उपर्युक्त समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के आधार क्या हैं और दूसरी समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई पर्यावरणीय कार्यवाही योजनाओं की, नदी घाटी तथा जल विद्युत परियोजनाओं हेतु उक्त मंत्रालय द्वारा गठित पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति (ई०ए०सी०) द्वारा जांच की गई थी। पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति ने भूवैज्ञानिक तथा भूकम्पीय परिस्थितियों से संबंधित जोखिम एवं आपदाओं और पारिस्थितियों तथा अनुकूल प्रभाव जिनसे परियोजना पर असर पड़ सकता है, विचार करने के पश्चात यह निर्णय निर्णय लिया है कि टिहरी परियोजना के लिए पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करना कोई महत्व नहीं रखता।

परियोजना क्षेत्र का भूकम्पीय क्षेत्र में होने को मद्देनजर रखते हुए बांध की सुरक्षा के बारे में पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति एवं अन्य संगठनों द्वारा जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं उनको देखते हुए सरकार द्वारा मार्च, 1990 में विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है ताकि टिहरी बांध परियोजना की सुरक्षा संबंधी विशिष्ट पहलुओं से संबंधित आशंकाओं का समाधान किया जा सके। समिति ने जिसमें संबंधित क्षेत्रों के उच्च स्तर के वैज्ञानिक एवं इंजीनियर्स भी शामिल हैं, मामले का समुचित रूप से अध्ययन कराने तथा अत्यधिक प्रतिकूल भूकम्प परिदृश्य की धारणा पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि यथा प्रस्तावित टिहरी बांध सुरक्षित रहेगा तथा टिहरी बांध परियोजना की आयोजना में भूकम्पीय परिस्थितियों से संबंधित सभी प्रकार के जोखिमों को ध्यान में रखा गया है तथा जलाशय के कारण संभावित भूकम्पीय परिस्थितियों पर और विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है।

टिहरी परियोजना के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन के समय समितियों के निर्णयों तथा सिफारिशों को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

टिहरी बांध परियोजना के संबंध में नई विशेषज्ञ समिति

354. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग तीन महीने पूर्व टिहरी बांध के निर्माण के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति की नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार ने सम्बन्ध में हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस नई समिति में सम्मिलित किये गये विशेषज्ञ इस बांध के निर्माण कार्य में किसी प्रकार पहले से ही जुड़े हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनमें से एक विशेषज्ञ अभी विदेश में ही है और उसका इस समिति के विचार विमर्श में भाग लेना सम्भव नहीं है; और यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर हां हो तो, उनका ब्यौरा क्या है

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ